

आदेश

क्रमांक 686 / गोपनीय / 2010

जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई, 2010

दो-3-1/2010 (भाग-एक-ए)

न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 16-08-2010 से 21-08-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 16-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 16-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगी।
4. टी0 ए0 एवं डी0 ए0 केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी0 ए0 एवं डी0 ए0 क्लेम करने के पात्र होंगे।
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


22
20/7/10

14. श्री राकेश कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी जिला होशंगाबाद,
15. श्री ओम प्रकाश बोहरा, तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इंदौर,
16. श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देपालपुर जिला इंदौर,
17. श्री अयाज मोहम्मद, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इंदौर,
18. श्री देव नारायण पाटिल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सावेर जिला इन्दौर,
19. श्री राम गोपाल प्रजापति, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर,
20. श्रीमती सुशीला वर्मा, नवम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, जबलपुर,
21. श्री दगडू सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खण्डवा,
22. श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना,
23. श्री पूरन सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, अम्बाह जिला मुरैना,
24. श्री कमलेश सनोडिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रायसेन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान- उदयपुरा जिला रायसेन,
25. श्री सुनील कुमार शोक, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बरेली जिला रायसेन,
26. श्रीमती निहारिका सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बडनगर जिला उज्जैन,
27. श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर), प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा,
28. श्री रामजी लाल ताम्रकार, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिरमौर जिला रीवा,
29. श्री सुरेश चन्द्र पाल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बीना जिला सागर,
30. श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, देवरी जिला सागर,
31. श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मैहर जिला सतना,
32. श्री अरुण कुमार सिंह (जूनियर), तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सतना,
33. श्री जय सिंह सराते, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, शहडोल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, स्थान-जयसिहनगर जिला शहडोल,
34. श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पोहरी जिला शिवपुरी,
35. श्री तपेश कुमार दुबे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, पिछोर जिला शिवपुरी,
36. श्री शशि भूषण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, चुरहट जिला सीधी,
37. श्री राधे श्याम मडिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिंगरौली मुख्यालय बैद्वन,
38. श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, त्योंथर जिला रीवा,
39. श्री नरसिंह बघेल, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, महीदपुर जिला उज्जैन,
40. श्री संजय श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कुरवई जिला विदिशा,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । उक्त सभी न्यायिक अधिकारियों, को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

(सु) 30/1)

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर/ बड़वानी/ बैतूल/ भिण्ड/ भोपाल/ छतरपुर/ छिन्दवाड़ा/ गुना/ ग्वालियर/ होशंगाबाद/ इंदौर/ जबलपुर/ खण्डवा/ मुरैना/ रायसेन/ रीवा/ सागर/ सतना/ शहडोल/ शिवपुरी/ सीधी/ सिंगरौली मुख्यालय बैठन/ उज्जैन/ विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित न्यायिक अधिकारियों को संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रशिक्षण हेतु इस आदेश में उल्लिखित दिनांक एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
7. जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर-452001/ जिला जज (निरीक्षण एवं सतर्कता), 28/बी, रेसकार्स रोड, मैला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) / (निरीक्षण एवं सतर्कता) / (I. L. R. & Examination), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. रजिस्ट्रार (व्ही0एल)/ (जिला स्थापना)/ (न्यायिक-1) (न्यायिक-2)/ (प्रशासन)/ (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (Exam & Labour Judiciary)/ अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता)/ (आई0टी0)/ रजिस्ट्रार एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
14. संचालक/अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
15. माननीय न्यायाधिपति श्री ----- के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
16. रजिस्ट्रार जनरल की निजी सचिव एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


 (टी0के0 कौशल)
 रजिस्ट्रार जनरल